

आक.30082/2-1/2018/KVSROAGRA/ 945

दिनांक 07-09-19

आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के दिनांक 05.10.1994 के पत्र संख्या 2-15/87-के0वि0स0 (प्रशासन-II) के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक आयुक्त (अव उपायुक्त) को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय प्रबंध समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण होंगे, को नियुक्त करने का अनुमोदन एतद्वारा प्रदान किया गया है। उक्त विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 15.09.2018 से 14.09.2021 तक तीन वर्षों की अवधि हेतु तक होगा।

| | |
|---|--|
| अध्यक्ष | श्री चन्द्र भूषण सिंह, आई.ए.एस., जिलाधिकारी अलीगढ़ |
| अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य जो स्थानीय स्टेशन पर वर्ग 'क' अधिकारी हो | श्री रवि वर्मा, ए.सी.एग.-II, अलीगढ़ |
| को प्रतिष्ठित शिक्षाविद् | 1. श्री श्याम कुंतल, प्राचार्य, बी.प.स. अलीगढ़ 2. श्रीमती बीना अग्रवाल, प्रोफेसर, डी.एस.कालेज, अलीगढ़ |
| सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति | डॉ० किशोर कुमार, नवचेतना समिति अलीगढ़ |
| सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति | 1. श्रीमती सोनी शंकर माता वंश मिश्रा कक्षा 2 अ 2. श्री सुनील कुमार वर्मा पिता चर्चित शर्मा कक्षा 10 अ |
| स्थानीय प्रतिष्ठित चिकित्सा अधिकारी | डॉ० विकास मेहरोत्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय अलीगढ़ |
| अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय का सदस्य जो वर्ग क अधिकारी हो यदि ऐसा सदस्य उपलब्ध नहीं है तो अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य | श्री हरपाल सिंह, प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, अलीगढ़ |
| प्रश्नक पतिनिधि | श्री सचिन कुमार शर्मा, पीजीटी (मौ0वि0), केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़ |
| सदस्य सचिव | प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, अलीगढ़, प्राची वाघत |
| सहयोजित सदस्य (Co-opted member) | श्री एस0के0चौधरी, अधि0 अभियन्ता, यू.पी.पी.सी.एल. अलीगढ़ |
| क.स.क.क.स.स. के अध्यक्ष (C.G.E.W.C.C.) | नीता नम्बिआर, आयकर आयुक्त, आयकर विभाग, अलीगढ़ |
| क.स.क.क.स.स. के सदस्य | श्री जय प्रकाश पाण्डेय, अधि0 अभियन्ता, पी.डब्लू.डी. अलीगढ़ |

श्री अरुण कुमार
 (वाई. अरुण कुमार)
 उपायुक्त 07/09/19

वितरण :

प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़ को उनके पत्र KVA/2018-2019/128 दिनांक 30.08.2018 के संदर्भ में अनुमोदित और इस अनुरोध के साथ कि भविष्य में विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ही पुर्नगठन की संस्तुति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
 अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 नई दिल्ली।

टिप्पणी :

- कृपया यह सुनिश्चित करें कि संबंधित केन्द्रीय विद्यालय में सबसे पुराने (Longest stay) अध्यापक को कमानुसार विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य मनोनीत किया जाए।
 छात्रों के अभिभावकों को अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने तक ही सदस्य नामित किया जाना चाहिए न कि पूरे वर्ष की अवधि हेतु जैसे कि कुछ मामलों में उक्त छात्र पूरे वर्ष भर के लिए विद्यालय की नामावली (on the roll) में नहीं होते हैं।
 नामावली को अपनी विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि कहीं लिखकर रखनी चाहिए तथा संगठन मुख्यालय के पत्र दिनांकित 20.12.1993 क्रमांक एफ 20-15/87-KVS(Admin-II) में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इस बाबत प्रस्ताव उचित समय पर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आगामी विद्यालय प्रबंध समिति का गठन यथाराम्य पर हो सके। साथ ही प्रस्ताव के साथ पूर्व विद्यालय प्रबंध समिति की प्रति भी संलग्न कर भेजें।

1 26/9/19
 2 26/9/19